भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4828
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत पारिश्रमिक का समय से भुगतान

4828. श्री चन्द्रेश्वर प्रसादः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार-प्राप्त लोगों को समय से पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या 'मनरेगा' के तहत नियुक्त कामगारों को नियत धनराशि नहीं दी जाती और इसका भुगतान भी समय से नहीं होता;
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) 'मनरेगा' को सुकर बनाने और कामगारों को पारिश्रमिक का समय से भुगतान करने हेतु क्या नीतियां बनाई गई हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के अंतर्गत कामगारों के लिए मजूदरी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न प्रयास किए हैं। जिनमें शामिल हैं:

(i) 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का विस्तार करना।

(ii) मजदूरियों के समय से भुगतान की कार्यनीति और लंबित प्रतिपूर्ति दावों के सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के साथ गहन परामर्श करना।

(iii) समय से भुगतान की निगरानी करने और प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करना।

(iv) समय से भुगतान और प्रतिपूर्ति का भुगतान करने में हुए विलंब की समीक्षा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार वीडियों कॉन्फ्रेंस करना।

(ग) से (ङ): अधिनियम की अनुसूची-I के अनुसार, मजदूरी का भुगतान निष्पादित की गई कार्य की मात्रा अर्थात पीस रेट के मापन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य के पास अपनी दरों की निर्धारित सूची है जिसके आधार पर कार्य की मात्रा परिभाषित की जाती है और यह मनरेगा लाभार्थियों के लिए मजदूरी की गणना हेतु प्रयोग में लाई जाती है। देय वास्तविक मजदूरी की गणना कामगार के कार्य की मात्रा पर आधारित होती है। मजदूरी के भुगतान में विलंब राज्यों में कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के कारण होता है जिसमें अपर्याप्त स्टाफ, समय से उपस्थिति का दर्ज और रिपोर्ट न किया जाना, मापन, डाटा प्रविष्टि, मजदूरी सूची को तैयार करना, निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) आदि शामिल हैं।

मंत्रालय द्वारा मनरेगा कामगारों को मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम करने के लिए प्रयास किये गये हैं जैसे निधियों की समय से रिलीज करना, कामगारों के खाते में मजदूरी के प्रत्यक्ष भुगतान के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) के माध्यम से भुगतान करना, समय से भुगतान की निगरानी करने और विलंब प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए, मजदूरी के समय से भुगतान करने और विलंब की प्रतिपूर्ति की निगरानी के लिए नरेगासॉफ्ट में पर्याप्त प्रावधानों को समर्थ बनाना। मंत्रालय कामगारों को ससमय मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस, मध्यावधि समीक्षा,एसएमएस आधारित निगरानी आदि के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में है।

******